

## संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

### संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2022 की विशिष्ट चरणों (13वें व 14वें) की काउन्सिलिंग प्रक्रिया (केवल फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु)

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2022 की विशिष्ट चरणों (13वें व 14वें) की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्पों व आरक्षण के अनुसार आनलाइन काउन्सिलिंग वेबसाइट (<https://jeecup.admissions.nic.in>) के माध्यम से किया जायेगा।

### विशिष्ट चरण की काउन्सिलिंग के लिए अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश

1. सभी प्रक्रियाएं दिये गये विशिष्ट चरण की काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार सम्पादित होंगी। काउन्सिलिंग शिड्यूल <https://jeecup.admissions.nic.in> पोर्टल पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान रखें कि सीट आवंटन काउन्सिलिंग की समस्त प्रक्रिया आनलाइन सम्पादित होनी है, अतः विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु निर्धारित तिथि एवं समय का विशेष ध्यान रखा जाये।
2. विशिष्ट चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया 2 चरणों में आनलाइन सम्पन्न की जायेगी। काउन्सिलिंग का कोई भी चरण ऑफलाइन नहीं होगा। काउन्सिलिंग चरणों की संख्या नियामक संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 आदि द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के अनुसार घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।
3. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउन्सिलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण-पत्र (ई0डब्लू0एस0/ओ0बी0सी0/एस0सी0/एस0टी0) एवं आरक्षण उपवर्ग प्रमाण-पत्र (दिव्यांग/सैनिक आश्रित/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित) जो लागू हो, नवीनतम मूलरूप में उपलब्ध हो। डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन में मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी।
4. काउन्सिलिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा प्रवेश शुल्क, अभ्यर्थियों के लॉगिन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से आनलाइन ही जमा होगा।
5. प्रथम से बारहवें चरण तक के फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों हेतु दिनांक 09.12.2022 से 12.12.2022 तक उनकी पूर्व प्रवेशित सीट से विद्वाल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिनांक 13.12.2022 के पश्चात किसी भी प्रवेशित अभ्यर्थी के लिए विद्वाल की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। काउन्सिलिंग प्रक्रिया से विद्वाल की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त हो जायेगा तथा वह 13वें व 14वें चरण की काउन्सिलिंग में भाग नहीं ले सकेगा।
6. तेरहवें से चौदहवें चरण की विशेष काउन्सिलिंग केवल फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु की जा रही है। इसमें फार्मसी पाठ्यक्रम के पूर्व प्रवेशित/अप्रवेशित छात्र एवं नवीन पंजीकृत छात्र भाग ले सकते हैं। इन चरणों में अभ्यर्थियों के लिए असीमित विकल्प भरने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
7. सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट/फ्रीज विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। फ्लोट विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को आवंटित संस्था की सीट सुरक्षित रहेगी। अगले चरण में नई सीट आवंटित होने पर पूर्व आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केन्द्र पर जाना होगा। डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क आनलाइन जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।
8. तेरहवें से चौदहवें चरण में डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन एवं प्रवेश की समस्त प्रक्रिया आवंटित संस्था में ही पूर्ण करनी होगी। सीट आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी अपनी आवंटित संस्था में उपरोक्त निर्धारित तिथियों में उपस्थित होकर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तथा आवंटित संस्था के पी0आई0 एडमिन में उपलब्ध सूची में पी0आई0 रिपोर्टिंग भी करायेंगे, अन्यथा उनकी आवंटित सीट निरस्त कर दी जायेगी तथा ऐसे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अगले चरण में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
9. तेरहवें से चौदहवें चरण में अनुदानित एवं निजी संस्थाओं में रिक्त सीटों के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा, जोकि उ0प्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2022 में सम्मिलित नहीं हुए हैं।
10. राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं के फार्मसी पाठ्यक्रम की बढ़ी हुई नवीन 44 सीटों एवं रिक्त रह गई सीटों पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा, जोकि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2022 में सम्मिलित हुए हैं।

11. तेरहवें से चौदहवें चरण में रजिस्ट्रेशन के पश्चात काउन्सिलिंग फीस जमा करनी होगी। काउन्सिलिंग फीस हेतु ₹0 250/- दिये गये विकल्पों यथा- नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से जमा करना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी से काउन्सिलिंग फीस समस्त चरणों हेतु एक ही बार ली जायेगी, विभिन्न चरणों में प्रतिभाग करने हेतु अतिरिक्त शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। काउन्सिलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। जो अभ्यर्थी पूर्व में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर चुके हैं उन्हें पुनः/दोबारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
12. रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग (संस्था एवं पाठ्यक्रम विकल्पों का चयन) का कार्य लॉगिन आई0डी0 व पासवर्ड की सहायता से करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके ग्रुप तथा आरक्षण वर्ग के अनुसार संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे, जिसमें वह अपने वरीयताक्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकता है। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जायेगा। अभ्यर्थी चुने गये विकल्पों को अपने वरीयताक्रम के अनुसार परिवर्तित कर सकेगा। विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जायेगा। विकल्प लॉक करने के उपरान्त उस चरण में कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते हैं।
- काउन्सिलिंग के विशिष्ट 13वें व 14वें चरणों में असीमित विकल्प भरने की सुविधा होगी। भरे गये विकल्पों के आधार पर ही सीट आवंटन किया जायेगा।
  - 14वें चरण में समस्त अभ्यर्थी अपने विकल्प परिवर्तित कर पायेंगे। 13वें चरण में सीट आवंटन प्राप्त न होने की दशा में अभ्यर्थी 14वें चरण में अपने सीट विकल्पों को परिवर्तित कर सकेगा। प्रत्येक चरण में चयनित विकल्पों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को संस्था एवं पाठ्यक्रम का आवंटन किया जायेगा।
13. काउन्सिलिंग का परिणाम निधारित तिथियों में जारी किया जायेगा। अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना होगा, तत्पश्चात अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
14. तेरहवें चरण से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में उपस्थित होकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन एवं निर्धारित प्रवेश शुल्क आनलाइन अपने लॉगिन के माध्यम से जमा नहीं करता है तो वह अगले चरण में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।
15. पूर्व में किसी संस्था के प्रवेशित अभ्यर्थियों को डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन एवं प्रवेश शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु उन्हें आवंटित संस्था में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शेष प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर पी0आई0 रिपोर्टिंग भी कराना अनिवार्य होगा। पूर्व में जमा किया गया प्रवेश शुल्क नई आवंटित संस्था के शुल्क में समायोजित कर दिया जायेगा।
16. डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से सम्पूर्ण शुल्क प्रत्येक चरण के निधारित तिथि तथा समय तक जमा करेंगे।
17. निजी पालीटेक्निक संस्थाओं में नवीन आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी केवल ₹0 3000/- अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण के निधारित तिथि तथा समय तक जमा करेंगे। शेष शुल्क अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे।
18. **सीट आवंटन** - प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा। अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों, आरक्षण तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। **किसी भी अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित विकल्पों के आधार पर केवल एक सीट आवंटित की जायेगी।** सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी की लॉगिन आई0डी0 पर उसका आवंटन-पत्र उपलब्ध होगा।
19. **Freeze अथवा Float विकल्प का चयन** - 13वें चरण में सीट आवंटन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से **Freeze** अथवा **Float** का विकल्प चुनना होगा।
- (अ) **Float विकल्प** - सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटित संस्था अथवा पाठ्यक्रम में सुधार के इच्छुक हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें **Float** विकल्प का चयन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित सीट तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक कि उसे कोई अन्य सीट आवंटित न हो जाये। 14वें चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी।

(ब) **Freeze विकल्प** – जो अभ्यर्थी आवंटित संस्था/ पाठ्यक्रम में अध्ययन के इच्छुक हों उन्हें **Freeze** विकल्प का चयन करना होगा। यदि अभ्यर्थी **Freeze** का विकल्प चुनता है तो उसे अपनी आवंटित संस्था में जाकर अपने सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के तुरन्त बाद अभ्यर्थी के लॉगिन पर चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सम्पूर्ण शुल्क आनलाइन जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क की धनराशि जमा किये जाने का विकल्प अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। प्रवेश शुल्क दिये गये विकल्पों यथा- नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा कर आवंटित संस्था द्वारा पी0आई0 रिपोर्टिंग भी कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में उसको आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी और वह 14वें चरण की काउन्सिलिंग में भाग नहीं ले सकेगा। 14वें चरण के आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी स्वतः **Freeze** हो जायेंगे तथा उन्हें आवंटित संस्था पर उपस्थित होकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराकर निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

20. 13वें चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से **Freeze** अथवा **Float** का विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। **Float/Freeze** विकल्प का चयन न करने वाले अथवा **Float** विकल्प चयन के पश्चात सिक्योरिटी धनराशि (**Seat Acceptance Fee**) न जमा करने वाले अथवा **Freeze** विकल्प का चयन करने के उपरान्त अभिलेख सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क न जमा करने वाले अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के 14वें चरण तक के लिए प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। 14वें चरण में सीट आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी **Freeze** माने जायेंगे।
21. **डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन** – 13वें से 14वें चरण तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात अभिलेखों के सत्यापन के लिए उन्हें आवंटित संस्था पर निर्धारित अवधि में स्वयं सभी मूल अभिलेखों तथा इसकी स्व:प्रमाणित छायाप्रति तथा दो फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना होगा। 13वें से 14वें चरण तक अभिलेखों का सत्यापन निर्धारित अवधि में आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर पूर्ण कराना होगा।

डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों में कमी पायी जाती है तो निम्न प्रकार के नियमों के अनुसार सहायता केन्द्र प्रभारी/काउन्सलर द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।

1. यदि कमी इस प्रकार की है, जिसका निराकरण सम्भव नहीं है, यथा-अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखता है/अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2022 को 14 वर्ष से कम है, तो अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी तथा अभ्यर्थी सम्पूर्ण काउन्सिलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जायेगा।
2. यदि कमी इस तरह की है, जिससे अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रभाव पड़ता है यदि अभ्यर्थी को किसी आरक्षण वर्ग (GEN EWS, OBC, SC, ST)/उपवर्ग (MP, FF, PH)/महिला कोटे/उ0प्र0 राज्य से सीट आवंटित होती है, परन्तु अभ्यर्थी के पास आरक्षण (वर्ग/उपवर्ग/राज्य) का प्रमाण-पत्र नहीं है तो उसके आरक्षण वर्ग/उपवर्ग/जेण्डर/राज्य को निम्नानुसार अभ्यर्थी की लिखित सहमति से पोर्टल पर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय परिवर्तित कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अगले चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र होगा, परन्तु अभ्यर्थी का आवंटन उस चरण में निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे अगले चरण में बदले हुए आरक्षण वर्ग/उपवर्ग/जेण्डर/राज्य के अनुसार काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माना जायेगा।

|                    |        |         |        |            |
|--------------------|--------|---------|--------|------------|
| SC/ST – MP/FF/PH   | —————> | SC/ST   | —————> | UNRESERVED |
| OBC-NCL – MP/FF/PH | —————> | OBC-NCL | —————> | UNRESERVED |
| GEN EWS – MP/FF/PH | —————> | GEN EWS | —————> | UNRESERVED |
| GEN EWS – MP/FF/PH | —————> |         | —————> | UNRESERVED |

- सामान्य वर्ग से आरक्षण वर्ग में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- अनारक्षित उपवर्ग से आरक्षित उपवर्ग में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- अभ्यर्थी के जेण्डर में कोई भी परिवर्तन किया जा सकेगा।
- अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।

22. **प्रवेश शुल्क** – अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अभ्यर्थी आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क आनलाइन माध्यम से जमा करेंगे। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में प्रवेश की दशा में सम्पूर्ण शुल्क जमा करना होगा। निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रवेश की दशा में रू0 3000/- शुल्क जमा कर प्रवेश लिया जा सकेगा तथा शेष शुल्क सीधे संस्था में जमा करना होगा। प्रथम से बारहवें चरण तक के फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रवेश शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न संस्थाओं हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण

उ0प्र0 प्रवेश एवं फीस नियमन समिति की वेबसाइट [www.afrcup2018.in](http://www.afrcup2018.in) पर एवं विवरण-पुस्तिका-2022 (Information Bulletin-2022) में प्रदर्शित है।

यदि किसी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी धनराशि की मांग की जाती है तो अभ्यर्थी प्रत्येक जनपद के राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्था में स्थापित सहायता केन्द्र अथवा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के लखनऊ स्थित कार्यालय में उपस्थित होकर अधिक शुल्क की मांग करने वाली संस्था की लिखित शिकायत करते हुए उस संस्था में प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकता है।

23. **प्रोवीजनल एडमिशन लेटर एवं पी0आई0 रिपोर्टिंग** –शुल्क जमा करने के पश्चात अपना प्रोवीजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थियों का आनलाइन प्रवेश पूर्णतया अस्थायी है। प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व उपस्थित होंगे। संस्था में मूल अभिलेखों की पुनः जांच होगी तथा अभिलेख सही पाये जाने पर आवंटित संस्था द्वारा उनकी आनलाइन पी0आई0 रिपोर्टिंग की जायेगी। अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा शुल्क, बीमा शुल्क, छात्रावास शुल्क तथा अन्य शुल्क जमा करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो संस्था में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

24. **Withdrawal from counseling process:** यदि कोई अभ्यर्थी वर्ष-2022-23 में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है तो अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के 13वें चरण से पूर्व 09.12.2022 से 12.12.2022 तक प्रथम से बारहवें चरण तक की आवंटित सीट को खाली करते हुए जमा किया गया सम्पूर्ण शुल्क (सिक्वोरिटी धनराशि एवं प्रवेश शुल्क) वापस ले सकता है। इस विकल्प का चयन करने के उपरान्त अभ्यर्थी इस शैक्षिक सत्र में फार्मसी पाठ्यक्रम ग्रुप में प्रवेश लेने से पूर्णतया वंचित होगा एवं किसी भी दशा में काउन्सिलिंग प्रक्रिया में पुनः सम्मिलित नहीं हो सकेगा। अतः उचित होगा कि अभ्यर्थी इस विकल्प के चयन से पूर्व भली-भाँति विचार करते हुए निर्णय ले।

(अ) शुल्क की वापसी अभ्यर्थी/अभिभावक के बैंक खाते में ही की जायेगी। अन्य किसी खाते में शुल्क वापसी सम्भव नहीं हो सकेगी।

(ब) इस प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी अपने लॉगिन से “Withdrawal from counseling process” लिंक पर जाकर अपना स्वयं/अभिभावक का बैंक विवरण यथा- खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड, बैंक एवं शाखा का नाम भरेंगे। जमा किये गये सम्पूर्ण शुल्क की वापसी इसी बैंक खाते में की जायेगी। अभ्यर्थी को अपने बैंक की चेकबुक की छायाप्रति को अपलोड करना है। चेकबुक उपलब्ध न होने की स्थिति में अभ्यर्थी बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पेज की छायाप्रति भी अपलोड कर सकते हैं।

(स) शुल्क वापसी की प्रक्रिया वर्ष-2022 की काउन्सिलिंग की समाप्ति के पश्चात की जायेगी।

(द) “Withdrawal from counseling process” के विस्तृत निर्देश परिषद की वेबसाइट [jeeup.admissions.nic.in](http://jeeup.admissions.nic.in) पर उपलब्ध है।

25. **पी0आई0 रिपोर्टिंग** – 13वें चरण की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन एवं प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात संस्था में रिपोर्ट करेंगे तथा संस्था द्वारा पी0आई0 रिपोर्टिंग माड्यूल में उपलब्ध प्रवेशित छात्रों की सूची में उन सभी छात्रों को पी0आई0 रिपोर्टेड अंकित करना होगा। यदि संस्था द्वारा किसी छात्र को पी0आई0 रिपोर्टेड नहीं दर्शाया गया है तो अभ्यर्थी की आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी तथा 14वें चरण में आवंटन हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी।

**अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश :**

1. सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर निर्धारित शुल्क ससमय नहीं जमा करता है तो उसे आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी। अतः अभ्यर्थियों को यह विशेष निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपने विकल्प सावधानीपूर्वक भरें और निर्धारित समय पर अभिलेख सत्यापित कराते हुए आनलाइन माध्यम से प्रवेश शुल्क अवश्य जमा कर दें।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जोकि शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं और यदि उनका प्रवेश राजकीय तथा अनुदानित संस्था में हुआ है (स्ववित्त पोषित सीटों को छोड़कर) तो उन्हें मात्र रू0 3000/- जमा करना होगा। पूर्व में फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों को कोई शुल्क जमा करने

की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होने पर यदि शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं पाये जाते हैं तो अवशेष शुल्क वे संस्था में जमा करेंगे।

3. आवंटित अभ्यर्थी डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन एवं प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात संस्था में उपस्थित होकर पी0आई0 रिपोर्टिंग अवश्य करवा लें, अन्यथा उन्हें आवंटित सीट निरस्त कर दी जायेगी।

**नोट :** संस्थाओं में उपलब्ध छात्रावास एवं संस्था सम्बन्धी विभिन्न विवरणों हेतु कृपया सम्बन्धित संस्था की वेबसाइट का अवलोकन कर सम्बन्धित संस्था में सम्पर्क करें। अभ्यर्थी अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नानुसार सम्पर्क कर सकते हैं :-

दूरभाष: 0522-2630667, 2630106, 2630695, 2630678

ईमेल: [jeecuphelp@gmail.com](mailto:jeecuphelp@gmail.com)